प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

सचिव
राजस्व परिषद्
अनुभाग-7,उ0प्र0,
लखनऊ।

संख्या /बजट/29(5)/30/13/2017-18 दिनाँक 28-4-2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक 001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त योजनान्तर्गत आपके द्वारा आपके पत्र सं0-आर0-704/7-306(6)/बजट,दिनांक 26-4-2017 द्वारा संदर्भित मदों में की गयी मांग एवं बजट उपलब्धता के आधार पर परिशिष्ट 'क' में दर्शाई गयी धनराशि को संलग्न एलाटमेन्ट ग्रिड के अनुसार कुल रु0 60.50 हजार (रुपये साठ लाख पच्चास हजार मात्र) की धनराशि इस निर्देश के साथ आवंटित की जाती है कि आँवटित धनराशि का व्यय निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किया जाय :-

(1) आवंटित धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017,दिनांक 02-01-2017 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/ दस-16/94,दिनांक06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) आवंटित धनराशि किसी भी दशा में आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा उससे व्यय नई मदों मे न किया जाय ।जहां संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियो द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व शासन को पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

(4) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो कीपूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

(5) आवंटित धनराशि का नकद/चेक/बैंक डाफ्ट के माध्यम से नहीं किया जाय प्रत्येक भुगतान लाभार्थी के खाते में RTGS/NEFT(आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0)के माध्यम से ही किया जाय

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय व्यय 2016-17 के अनुदानसं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर -001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

(7) आंवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि आवंटन पंजिका के कम सं0-2 के पृष्ठ सं0-10 से 197 तक पर अंकित कर ली गयी है ।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

संख्या 570 /बजट/29(5)/30/13/2017-18, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. विशेष सचिव,पशुधन अनुभाग-2,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय-लखनऊ ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।
3. महालेखाकार(सी0पी0सी0)-3,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।
4. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी,कलैक्ट्रेट-लखनऊ।
5. कम्प्यूटर सुपरवाईजर,मुख्यालय ।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-28/04/2017

प्रेषण संख्या:- 570
आवंटन आदेश संख्या:- 002-29-5-30-13-2017-18
अनुदान संख्या:- 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((पशुधन)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - निदेशालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4219-आयुक्त एवं सचिव , बोर्ड आफ रेवेन्यू -उ0प्र0-लखनऊ-01--	वर्तमान	5425000	225000	400000	6050000
		प्रगामी	6222000	257000	582000	7061000
	योग	वर्तमान	5425000	225000	400000	6050000
		प्रगामी	6222000	257000	582000	7061000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया साठ लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तर लाख इकसठ हजार

(नरेंद्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक